मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः15.01.2026

थाना जिगना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का 48 घण्टे के अन्दर अनावरण, घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 11 पेटी चोरी की देशी शराब व 10000 रूपये नगद बरामद-

थाना जिगना जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 11.01.2026 को वादी दशरथ बिन्द पुत्र जगनारायण बिन्द निवासी बरइयापुर रसौली थाना जिगना जनपद मीरजापुर द्वारा ग्राम बरइयापुर रसौली में स्थित देशी शराब की दुकान से अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जिगना पर मु0अ0सं0-05/2026 धारा 303(ए) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए घटना का शीघ्र अनावरण व बरामदगी हेतु थाना प्रभारी जिगना को निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में दिनांकः 14.01.2026 को थाना जिगना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना, साक्ष्य संकलन व भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना जिगना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बजटा स्थित सरकारी स्कूल के पास से प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1- देवराज उर्फ टिररू बिन्द पुत्र फुलचन्द्र बन्द निवासी पीयरी भीट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर व 2. अजय बिन्द पुत्र मुरलीधर बिन्द निवासी चकिया बजटा थाना जिगना जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 11 पेटी शराब व 10,000 रूपया नगद बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना जिगना पुलिस द्वारा अंतर्गत धारा 305(ए),317(2) बीएनएस व 60 आबकारी अधिनियम में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग आपस में रिस्तेदार है, 10/11.01.2026 की रात्रि को हम लोग द्वारा मिल कर देशी शराब की दुकान से 22 पेटी देशी शराब व 25 हजार रूपये चोरी कर लिया गया था। चोरी की गयी शराब को हम लोगो द्वारा बगीचा में छुपाकर रखा गया था, जिसे दिनांक 14.01.2026 को बेचने का प्रयास कर रहे थे कि आपके द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. देवराज उर्फ टिररू बिन्द पुत्र फुलचन्द्र बन्द निवासी पीयरी भीट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।
2. अजय बिन्द पुत्र मुरलीधर बिन्द निवासी चकिया बजटा थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-05/2026 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस व 60 आबकारी अधिनियम थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

11 पेटी चोरी की शराब व 10,000 रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—
थानाध्यक्ष जिगना संजय कुमार सिंह जनपद मीरजापुर मय टीम।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह – प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

****

उत्तर प्रदेश पुलिस